इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. 18182-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई 2017 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१७

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) शब्द ''चार अन्य सदस्यों'' के स्थान पर, शब्द ''चार अन्य सदस्यों तक'' स्थापित किए जाएं;

(दो) पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परन्तु आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.''.

धारा ४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द ''चार'' का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरपालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन में भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३ झ तथा २४३ म के अधीन एक वित्त आयोग के गठन हेतु प्रावधान.

२. वर्तमान में, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४) की धारा ३ के अनुसार, राज्य वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे.

3. यह प्रस्तावित किया जाता है कि यदि कभी आयोग के अन्य सदस्यों की संख्या चार से कम है, तो आयोग का कार्य शून्य अथवा असफल नहीं होगा. अत: मूल अधिनियम की धारा ३ तथा ४ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १९ जुलाई, २०१७.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017—श्रावण 11, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. . . . .-178-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 19 OF 2017

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2017

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 3.

2. In section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) for the words "four other members", the words "upto four other members" shall be substituted;

(ii) for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no act or proceeding of the Commission shall be invalidated merely by reason of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Commission.".

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act, the word "four" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To review the financial position of the Panchayats and the Municipalities there are provisions for constitution of a finance Commission under articles 243I and 243Y of the Constitution of India.

2. At present, according to section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the State Finance Commission shall consis of a chairman and four other members.

3. It is proposed that if at any time the numbder of other members of the Commission is less than four, the work of the Commission shall not become void or infructuous. Therefore, suitable amendments are proposed in sections 3 and 4 of the principal Act.

4. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED THE: 19th July, 2017.

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.